न्यायालय अति0 जिला क्लक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्रीमती बीना महावर RAS)

रेफरेंस सं. 33/2017

निर्णय दिनांक 22-10-2021

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जी रूपवास वहैसीयत लैण्ड होल्डर.........प्रार्थी।

बनाम

1.श्रीमती कान्ता	पत्नी	स्व0 गोपालराम जाति ब्राह्मण
2.प्रेमनिधि	पुत्रान	कस्वा
3.नरेशकुमार		रूपवास
4.गजेन्द्र बाबू		तहसील
5.ऊषा		रूपवास
6.कुसुमा	पुत्रियान	जिला
7.रेखा		भरतपुर
8.कृष्णा		

....अप्रार्थीगण।

रेफरेंस अंतर्गत धारा 82 राज0 भू राजस्व अधि0 1956 वावत आराजी खसरा नं. 1935/1046 रकवा 0.10 विस्वा वाके कस्वा रूपवास तहसील रूपपास जिला भरतपुर।

उपस्थिति : 1.पेरोकार सरकार GA

2.श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट

3.श्री हेमराज शर्मा एडवोकेट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी - श्रीमती बीना महावर RAS)

रेफरेंस सं. 33/2017

राज0 सरकार बनाम श्रीमती कान्ता वगै0

निर्णय

दिनांक 22-10-21

1....प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि तहसीलदार रूपवास द्वारा आराजी खसरा नं. 1935/1046 रकवा 0.10 विस्वा की अप्रार्थीगण के हक में दर्ज गैर–खातेदारी को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किये जाने के लिये यह रेफरेंस पेश किया है। उन्होंने रेफरेंस में दर्ज किया है कि भूमिखण्ड कदीम (मकबूजा चारागाह) है, जो अप्रार्थी0 की गैर खातेदारी में दर्ज हैं। यह खसरा नं. कुल 41 वीघा 11 विस्वा का रहा है, जो संवत 2017–20 की जमाबंदी में सिवायचक (चारागाह) के रूप में दर्ज रहा है। इस रकवे में से 24 वीघा 01 विस्वा ग्राम पंचायत को मेला ग्राउण्ड के लिये जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश के अनुसार नामां0 सं. 1298 तथा श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 20.07.1990 द्वारा नामां0 सं. 1574 दिनांक 15.12.1992 से जमावंदी सं. 2049–52 के खाता सं. 598 में अप्रार्थी सं. 1 लगा0 8 के पूर्वज गोपालराम पुत्र विपतिराम ब्राह्मण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई, जो जरिये विरासत नामां0 सं0 2975 से अप्रार्थीगण सं. 1 लगा0 8 के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ है। वर्तमान में अप्रार्थीगण सं. 1 लगा0 8 काविज आराजी हैं। चरण सं. 6 रेफरेंस में दर्ज किया है कि उक्त आराजी राज0 काश्तकारी अधि0 1955 कर धारा 16 में वर्णित भूमियों में से है, जिसका नियमन नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि पर हुक्मरन विनियमन व खातेदारी अवैध है। यह भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से प्रभावित है व सिवायचक खाते में दर्ज किये जाने के योग्य है। अंत में निवेदन किया है कि हुक्मरन नियमन व खातेदारी तथा उसके प्रभाव में किये गये समस्त नामां0 सं. 1574 व 2975 इत्यादि को निरस्त करने हेतु तथा भूमि को पूर्व की तरह सिवायचक दर्ज करने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी : श्रीमती बीना महावर RAS)
रेफरेंस सं. 33/2017
राज0 सरकार बनाम श्रीमती कान्ता वगै0

2..प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया व अप्रार्थीगण को उप0 होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस पर उप0 होकर अप्रार्थी0 की ओर से रेफरेंस का जबाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें अप्रार्थी0 ने अपने जबाब में रेफरेंस के तथ्यों को अस्वीकार किया है तथा अपने अति0 कथन में दर्ज किया है कि खसरा नं. 1046 कुल रकवा 43 वीघा 11 विस्वा का था, जो सिवायचक बंजर कदीम था, जिसमें कुछ रकवा आबादी का एवं कुछ रकवा मेला ग्राउण्ड एवं 967 वर्गगज (0.10 विस्वा) भूमि अप्रार्थीगण के पिता गोपालराम को आवासीय प्रयोजन हेतु सन 1976 में आवंटित की गई थी व नियमानुसार सनद जारी की गई थी। कुल रकवे में से 24 वीघा 01 विस्वा भूमि ग्राम पंचायत रूपवास को मेला ग्राउण्ड के लिये जिला कलक्टर के द्वारा सन 1985 में आवंटित की गई थी। इस प्रकार भूमि आबादी/मेला ग्राउण्ड व अप्रार्थी गोपालराम के स्वामित्व की है। उक्त भूमि कभी भी चारागाह नहीं रही है। धारा 16 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के किसी भी प्रावधान में उक्त भूमिखण्ड नहीं आता है। चरण सं. 13 जबाब में उन्होंने दर्ज किया है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज गोपालराम को उक्त भूमि 1976 में आवंटन हुई है, जिसके विरुद्ध रेफरेंस 41 साल बाद किया है, जो कि अति मयाद बाहर है। इससे पूर्व धारा 82 राज0 भू राजस्व अधि0 के तहत तहसीलदार द्वारा एक रेफरेंस सन 2001 में प्रकरण सं. 13/2001 अति0 कलक्टर महोदय भरतपुर के यहाँ पेश किया, जो दिनांक 24.12.2001 को खारिज हो गया व अप्रार्थीगण के पिता गोपालराम का आवंटन एवं नामां0 सं. 1574 सही माना गया। अब उसी नामां0 एवं आवंटन के विरुद्ध यह रेफरेंस पुनः प्रस्तुत करदिया है, जो कि चलने के योग्य नहीं है. अपने जबाब में अप्रार्थी0 ने लिखा है कि उक्त भूमिखण्ड के नामां0 सं. 1574 एवं आवंटन पर ग्राम पंचायत रूपवास, न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर,राजस्व अपील प्राधिकारी,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी : श्रीमती बीना महावर RAS)
रेफरेंस सं. 33/2017
राज0 सरकार बनाम श्रीमती कान्ता वगै0

संभागीय आयुक्त, राजस्व मण्डल अजमेर एवं राज0 उच्च न्यायालय तक
लड चुकी है तथा सिविल में भी लड चुकी है तथा सभी में तहसीलदार
पक्षकार रहा है एवं अप्रार्थी0 का आवंटन एवं नामां0 आज तक बहाल रहा है।
तहसीलदार ने सिवायचक बंजर कदीम भूमि को चारागाह बताकर यह रेफरेंस
कर दिया है, जो रिकॉर्ड एवं मौके के विपरीत है व काविल खारिजी के है।
अप्रार्थीगण की ओर से नकल निर्णय/डिक्री सिविल कोर्ट दिनांक
26.02.2004, नकल राजीनामा ग्राम पंचायत रूपवास दिनांक 17.01.2004,
निर्णय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 24.12.2001, निर्णय राजस्व
अपील प्राधिकारी भरतपुर दिनांक 20.07.1990, निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर
दिनांक 23.09.1993 पेश किये हैं।

3..उभय पक्षकरान की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने भूमि को चारागाह
बताते हुए उक्त नामां0 एवं आवंटन को निरस्त करने हेतु रेफरेंस करने के
लिये निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में दर्ज
तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों
में भूमि कभी भी चारागाह दर्ज नहीं है, अपितु बंजर कदीम दर्ज है, जो धारा
16 राज0 टी0एक्ट के प्रावधानों में बाधित भूमि में नहीं आती है। उनका तर्क
है कि उक्त भूमि पर पहले भी सन 2001 में नामां0 के विरुद्ध रेफरेंस हुआ है,
जो माननीय न्यायालय ने खारिज किया है। अब पुनः रेफरेंस उन्हीं आधारों
पर उसी नामां0 का कर दिया है, जो चलने के योग्य नहीं है। आवंटन के 41
साल बाद रेफरेंस भारी म्याद बाहर है। नामां0 रास्व अपील प्राधिकारी के
आदेश दिनांक 20.07.1990 की पालना में स्वीकृत हुआ है, जो माननीय राज0
उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल तक बहाल रहा है। अतः उक्त निर्णयों के
रहते रेफरेंस पोषणीय नहीं है। अतः रेफरेंस को खारिज किया जावे।

4..हमने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमिखण्ड की किस्म शुरू
से ही बंजर–कदीम दर्ज होती रही है और कभी भी किस्म चारागाह नहीं रही
है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी : श्रीमती बीना महावर RAS)
रेफरेंस सं. 33/2017
राज0 सरकार बनाम श्रीमती कान्ता वगै0

पैरोकार सरकार यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि उक्त भूमि कभी चारागाह दर्ज रही है या सक्षम अधिकारी द्वारा चारागाह घोषित की हो। ऐसी स्थिति में धारा 16 राज0 काश्तकारी अधि0 के प्रावधानों में उक्त भूमि नहीं आती है। नामां0 सं. 1574 गोपालराम के नाम राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर दर्ज व स्वीकृत हुआ है तथा उक्त आदेश राजस्व मण्डल अजमेर तक बहाल रहा है, जैसा कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निर्णयों की प्रतियों से सावित होता है। अतः उक्त नामां0 जो सक्षम अधिकारी के आदेश से स्वीकृत हुआ है, उसे रेफरेंस के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता है। गोपालराम का आवंटन भी राजस्व मण्डल अजमेर तक बहाल रहा है। अतः उसके विरुद्ध रेफरेंस पोषणीय नहीं है। इसी नामां0 का रेफरेंस इसी न्यायालय में पूर्व में सन 2001 में हुआ था, जो खारिज कर दिया गया। अतः बार बार उसी आधार पर रेफरेंस चलने के योग्य नहीं है। उपरोक्त सभी विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रेफरेंस में कोई ऐसे आधार नहीं हैं, जिसके आधार पर माननीय राजस्व मण्डल को इसे रेफर किया जा सके। अतः रेफरेंस काविल खारिजी के है।

अतः आदेश है कि–

रेफरेंस आधारहीन व तथ्यहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 22/10/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती बीना महावर RAS)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

भरतपुर (राज0)